


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 64/2010

उनवानी :- कल्लाराम व अन्य बनाम श्रीमती सुनीता व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
08.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। NOT PRESS में खारिज कराना चाहता है। इसलिए मुकदमा नं. 64/2010 उनवानी कल्लाराम व अन्य बनाम श्रीमती सुनीता व अन्य दावा बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>